

1  
क्र. 5083/2018/सिंगरौली/वैश्य (71)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,  
जिला रीवा (म0प्र0)



1- हनुमान प्रसाद पिता विश्वनाथ प्रसाद वैश्य निवासी ग्राम करौंटी  
तह0 व जिला सिंगरौली (म0प्र0)

2- तरसियूस तिर्की पिता बलीस बिटा तिर्की निवासी मकान नं0 3  
टैगोर नगर फेस-2 खजुरीकला रोड पिपलानी भोपाल(म0प्र0)

— निगरानीकर्तागण.

बनाम

मेघनाथ वैश्य पिता त्रिलोकनाथ वैश्य उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम करौंटी  
तह0 व जिला सिंगरौली (म0प्र0) — गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी  
महोदय सिंगरौली के प्र0 क0 0174/  
अपील/2017-18 आदेश दि0-28/07  
/18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0  
भू-राजस्व संहिता ।

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य निम्नलिखित है:-

निगरानीकर्ता क0 2 के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि  
खसरा नं0 476/2 रकवा 0.070 हे0, 477/2 रकवा 0.080 हे0,  
494/1 रकवा 0.270 हे0, 495/1 रकवा 0.010 हे0 कुल 4  
किता कुल रकवा 0.430 हे0 की थी। निगरानीकर्ता क0 2  
अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है ।

*(Signature)*

71

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5083-सिगरोली/18 जिला सिगरोली

हनुमान प्रसाद वैश्य विरुद्ध मेघनाथ वैश्य

18-12-18

1. आवेदक की ओर से श्री उमेश सिंह बायेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिगरोली के प्रकरण क्रमांक 174/अपील/25.12.18 में पारित आदेश दिनांक 28.7.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सिगरोली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6.3.19 को कलेक्टर सिगरोली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य